समाहरणालय,मुंगेर।

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,

पत्रांक................/सा0सु0को0दिनांक.................

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
(मुंगेर जिला)

विषय :- वित्तीय वर्ष-2013-14 में जिले के सरकारी विधालयों/संस्थाओं एवं विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत नेत्रहीन,मूक बधिर एवं अन्य प्रकार के विकलांग छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवंटन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आवंटनादेश संख्या-68 दिनांक 23.09.13 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष-2013-14 में वर्ग-1 से स्नातकोत्तर एवं अन्य उच्चतर व्यवसायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत नेत्रहीन,मूक बधिर,एवं अन्य प्रकार के विकलांग छात्र/छात्राओं को **''सामान्य घटक''** में प्रदान की जानी वाली छात्रवृत्ति हेतु सरकार से प्राप्त आवंटन राशि मो0-1718048/-(सत्रह लाख अठारह हजार अड़तालिस) रूपये एवं प्रशासनिक व्यय मद में मो0-17180/-(सत्रह हजार एक सौ अस्सी)रूपये कुल राशि मो0-1735228/-(सत्रह लाख पैंतीस हजार दौ सौ अठाईस)रूपये प्राप्त आवंटन को निम्न प्रकार से उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	छात्रवृत्ति मद में उपवंटित राशि (विशेष घटक)	प्रशासनिक व्यय में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर	150000=00	-	150000=00
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी,जमालपुर	140000=00	-	140000=00
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी,बरियारपुर	105000=00	-	105000=00
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी,धरहरा	105000=00	-	105000=00
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी,खड़गपुर	125000=00	-	125000=00
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी,टेटिया-बम्बर	90,000=00	-	90,000=00
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी,तारापुर	105000=00	-	105000=00
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी,संग्रामपुर	105000=00	-	105000=00
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी,असरगंज	90,000=00	-	90,000=00
10	सहायक निदेशक,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मुंगेर।	703048=00	17180=00	720228=00
	कुल :-	1718048=00	17180=00	1735228=00

(2) इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के पात्र वैसे विकलांग छात्र/छात्राऐं होगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय सभी श्रोतों से दो लाख रूपये से अधिक नहीं हो एवं लाभार्थी 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से ग्रसित हो।

(3) स्वीकृत राशि के अन्तर्गत विभिन्न पाठयक्रमों तथा दिवाकालीन एवं छात्रावासी विकलांगों के लिये छात्रवृत्ति तदर्थ अनुदान तथा परिवहन भत्तों का भुगतान संलग्न अनुसूची-2 के पृष्ठ-01 एवं 02 में निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। इसमें यदि ज्यादा दर प्रयुक्त हो तो उच्चतम दर पर छात्रवृत्ति देय होगी। वाचक भत्ता सिर्फ नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को ही देय होगा।

(4) छात्रवृत्ति स्वीकृति के पूर्व यह जाँच कर लिया जाय कि उन्हे सरकार द्वारा देय कोई अन्य छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है अथवा नहीं/सिर्फ एक ही छात्रवृत्ति जिसका दर सबसे ज्यादा हो अनुमान्य होगा।